FORM NO. III

फर्दअहकाम

(नियम– 26)

अज अदालत .....सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी), ...सिवाना .....

वादीगण	बनाम	प्रतिवादीगण
1. जोधाराम उर्फ जोधसिंह पुत्र मांगाराम जाति राजपुरोहित निवासी पंऊ तहसील सिवाना जिला बाडमेर		1. गेबाराम पुत्र फुसाराम 2. भटाराम पुत्र मांगाराम 3. हडमताराम पुत्र फुसाराम समस्त जाति राजपुरोहित निवासी पऊ तहसील सिवाना जिला बाडमेर 4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सिवाना

किस्म मुकदमा.....धारा 188 RTA मु0नं0...88 / 2021

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्सजज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
15.09.2021	वादी जोधाराम की ओर से यह वाद पत्र वकील श्री गौतमसिंह द्वारा प्रतिवादी गेबाराम वगैरा के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 188 RTA का पेश किया। वाद पत्र दर्ज रजिस्टर हो। प्रतिवादीगण को सम्मन जारी होकर पत्रावली दिनांक 22.10.2021 को पेश हो। (कुसुमलता चौहान) सहायक कलक्टर, सिवाना	
22.10.21	पत्रावली आज पेश हुई। आज [illegible] में [illegible] पत्रावली [illegible] दिनांक 14.02.22 को पेश हो।	
14.02.22	पत्रावली पेश हुई प्रतिवादीगण को सम्मन जारी नहीं हुए है। पत्रावली का अवलोकन व अध्ययन करने पर वाद तथ्य ध्यान में आया की वाद-पत्र के विषय वस्तु भूमि ख.सं. 1577 रकबा 17.053 हैक्टेयर वादी व प्रतिवादीगण की खातेदारी की है वादी ने मात्र स्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष चाहा है जबकि विधि के अन्तर्गत ऐसा अनुतोष बिना बेदखली नहीं चाहा जा सकता है अब वाद पत्र वादी [illegible] के इसी स्तर पर निस्तारित किया जाता है। [illegible] कुमार [illegible] दाखिल दफ्तर हो। Signature Not Verified Digitally signed by Kusumlata Chouhan Date: 2022.10.08 14:22:55 IST Reason: SelfAttested सहायक कलक्टर (S.D.O.) सिवाना	